BIHAR SHODH SAMAAGAM, VOL. 1, ISSUE 3, p.p 30-34
(2023) ISSN : 3048-6971

भारत में पंचायती राज का महत्त्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

दीपक कुमार

शोध–आलेख सार–

वस्तुतः पंचायती राज भारत में ग्रामीण लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है जो लोकतंत्रीय प्रक्रिया में जनसहभागिता को विकसित करके आम जनता में विश्वास और साहस पैदा करती है, लोगों को ग्रामीण विकास की योजना बनाने तथा कमजोर वर्ग को समान सहभागिता का अवसर प्रदान करके लोकतंत्रीय आस्था के मजबूत कड़ी से जोड़ती है। वस्तुतः यह राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का एक ऐसा माध्यम है जो शक्ति और सत्ता को निम्न स्तर तक हस्तांतरित करता है। अधिकांश शोध अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज्य का स्वप्न संजोया था वह आज साकार रूप ले चुका है। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने से पंचायतों को नये अधिकार व शक्तियां मिली हैं और इससे ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

मूलशब्द– पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण लोकतंत्र, ग्रामीण विकास, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, संविधान का 73वां संशोधन, राजनीतिक चेतना।

भूमिका– स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के महत्व से हमारे संविधान निर्माता भी भली भांति परिचित थे। इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में इस बात का प्रावधान किया गया कि 'राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेंगी जिससे वे स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो सकें।[1] वास्तव में पंचायती राज की अवधारणा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, जिसका लक्ष्य जमीन स्तर पर लोकराज का है, न कि ऊपर से नीचे की ओर सत्ता आदेशों का बहाव अथवा थोपना। यह प्रणाली 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू होकर 1959 में तीन पहियों वाली शासन व्यवस्था में संस्थागत होते हुए आज संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर राज्य सरकारों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों में सहभागिता करके लोकराज एवं लोकशक्ति के निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। राज्य सरकारों ने पंचायतीराज संस्थाओं को काफी अधिकार एवं शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी हैं। 73वां स ंविधान संशोधन इस दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है जो स्थानीय स्वशासन को सक्षम एवं स्पर्धावान बनाता है।

महात्मा गाँधी के मस्तिष्क में 'ग्राम स्वराज्य' की परिकल्पना थी, जिसे उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध 'हिन्द स्वराज' में स्पष्ट किया था। उनकी परिकल्पनानुसार ''आत्मनिर्भर गांव को राष्ट्रीय ढांचे की ईकाई माना जाय''।[2] गांवों को उचित ढंग से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही सम्भव है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र 20 आदमियों द्वारा केन्द्र में बैठकर सफल नहीं बनाया जा सकता, इसमें सबसे निचले स्तर पर गांवों के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करना होगा।[3] ग्राम का सर्वांगीण विकास करने के लिए गाँधी जी ने ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की थी, जिसके लिए गाँवों में पंचायती राज संस्थाओं का विकास किया जाए और इन संस्थाओं के माध्यम से खुशहाली लाई जाए। उनका मानना था कि जब तक ग्रामीणों को स्वराज्य का अधिकार नहीं दिया जायेगा, तब तक गांवा का विकास नहीं हो सकता अर्थात् ग्राम पंचायतों को अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होनी

दीपक कुमार, शोधार्थी
लोक प्रशासन, विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
रजिस्ट्रेशन नं० – XM/R/405/22

चाहिए।[4] महात्मा गाँधी ने हमें चेताया था कि यदि गांवों को दबाया जाता है तो भारत दब जायेगा। इसलिए उन्होंने शक्तिशाली और गतिमान गांवों का पक्ष लिया, जो आत्मनिर्भर हों। उन्होंने ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज का समर्थन किया जो लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण पर आधारित था। उनका मानना था कि आजादी का अनुभव नीचे से होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी का दृष्टिकोण जनसहभागिता के माध्यम से ग्राम स्वराज्य का था जिसमें अपने मामलों का प्रबन्ध स्वयं लोगों द्वारा किया जायेगा। गांधी जी मानते थे कि सच्चा लोकतन्त्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो और यह तभी सम्भव है जब गाँव में रहने वाले आम आदमियों को शासन के बारे में फैसला करने का अधिकार मिले।

अन्ततः आज समस्त भारत में पंचायती राज व्यवस्था द्वारा पंचायतों को अधिकार व शक्तियाँ प्रदान करके राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है ताकि समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को भी सत्ता में भागीदार बनाया जा सके। आज यह बात सर्वत्र स्वीकार्य है कि सक्रिय जनसहभागिता के बिना लोकतन्त्रीय व्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को इतना शक्तिशाली बना दिया गया है कि इनके बिना गाँवों का विकास असम्भव सा प्रतीत होने लगा है। इस संशोधन ने त्रिस्तरीय व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को जो स्थान व सम्मान दिया है, वह अन्य किसी देश में नहीं मिलता। इसलिए पंचायती राज की आवश्यकता व महत्व सर्वविदित है।

पंचायती राज का महत्व– इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में पंचायती राज की अवधारणा विशुद्ध रूप से भारतीय है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का माध्यम है जो सक्रिय जनसहभागिता द्वारा लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत करती है। इससे ग्रामीण जनता की लोकतन्त्रीय आस्था सुदृढ हुई है और वे आत्मनिर्भर तथा आत्म चितंनशीलता की तरफ अग्रसर हुए हैं। वास्तव में पंचायती राज की अवधारणा का अस्तित्व लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण से ही प्रकट हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 64वाँ संविधान संशोधन, बलवन्त राय मेहता समिति, 73वां संविधान

संशोधन आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस सन्दर्भ में पंचायती राज का महत्व निम्न प्रकार से है–

ग्रामीण लोकतंत्र का आधार– आज ग्रामीण समस्याओं को हल करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता पंचायती राज प्रशासन ग्रामीण भारत में स्थानीय समस्याओं से ही सम्बन्धित है। इसे भारतीय राजनीति का ह्रदय माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार यही संस्थाएं हैं जो लोकतन्त्र तथा नागरिकता का पाठ सिखाती है। इन्हीं संस्थाओं ने ग्रामीण नेतृत्व को नई दिशा दी है। आज ग्रामीण नेताओं की सक्रिय सहभागिता के बिना न तो गाँवों का विकास हो सकता है और न ही गाँवों की समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान की है। इसने नौकरशाही और आम लोगों में अन्तर को कम किया है। इसने जिस नए नेतृत्व को जन्म दिया है, वह पहले की तुलना में अधिक उर्जावान और सक्रिय है।

सन् 1984 में चुनावों के पश्चात् स्वर्गीय राजीव गाँधी ने दूर–दराज इलाकों के दौरे किए और स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनता की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता है। जब तक ग्रामवासी विकास कार्यों में सीधे शरीक नहीं होगें, तब तक निर्धनता उन्म ूलन

असम्भव है तथा विकास के लिए खर्च की जा रही राशि का 15 से 20 प्रतिशत ही जनता तक पहुँच पाता है। राजीव गांधी का यह नारा था – ''जन की सत्ता सौंपो जन को।''[5] के.सुभा और बी.एस. भागर्व ने अपने लेख ''पंचायत एण्ड एन.जी.ओ. इन सोशल चेन्ज'' में लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र का आधार है। 73वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम है जो भारत में ग्रामीण लोकतन्त्र का स्वर्ण युग लेकर आया है। इसके आने से पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली बिल्कुल बदल गई है और इन संस्थाओं ने अधिक रूप से विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया है। इससे अनुसूचित जातियों व जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं में आत्म–सम्मान की भावना जागृत हुई है। ग्रामीण नेताओं में भी अपने लोगों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। प्रथम बार राष्ट्रीय विकास और पुनर्निमाण में आम लोगों को शामिल करने का प्रयास हुआ है।[6]

पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप व कार्य प्रणाली में परिवर्तन– 73 वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप और कार्यप्रणाली ही नहीं बदली बल्कि उनकी संरचना और कार्यकुशलता में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया हे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज कानून में कई नए और प्रगतिशील प्रावधान जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न और सक्रिया बनाया। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि 1993 में इस कानून के लागू होने के बाद देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में नए युग का सूत्रपात हुआ। नए पंचायती राज अधिनियम में कई प्रमुख सुधार हुए जिनमें–पांच वर्ष के बाद निश्चित एवं नियमित चुनाव, चुनाव करवाने तथा मतदाता सूचियाँ बनाने के लिए स्वतन्त्र चुनाव आयोग तथा सबसे महत्वपूर्ण सुधार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप सीटों का आरक्षण तथा कुल सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

पंचायती राज नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास– 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को एक नया जीवन प्रदान किया है। इसने पंचायतों को ग्रामीणों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करने, सड़के बनाने, बिजली की व्यवस्था करने, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा का प्रबन्ध करने, स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रबन्ध करने के साथ–साथ हस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों आदि का उतरदायित्व भी प्रदान करता है। इस अधिनियम को पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में 'मैग्मा कार्टा' के नाम से जाना जाता है जो ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व का एक नया रूप पेश करता है।[7]

संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज की स्थापना और सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अचूक समाधान है। यह भारत के प्रजातान्त्रिक इतिहास में एक क्रान्तिकारी कदम है। यह ग्रामीण जनसमुदाय के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा को परिलक्षित करता है। यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने में सहायक है और स्वतंत्रता के पश्चात् समाज में हो रहे परिवर्तन को जानने में भी सहायक है। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसने स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया है।[8]

पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप पिछले एक दशक से ग्रामीण समाज में परिवर्तन स्पष्ट होने लगा है। ग्रामीणों में अब पर्याप्त जागरूकता आई है जिसके फलस्वरूप परम्परागत अभिजात वर्ग का प्रभुत्व कम हुआ है। ग्रामीण अपने मताधिकार एवं शक्ति के प्रति सचेत हो गए हैं। जिन क्षेत्रों में पहले परम्परागत नेतृत्व बिना चुनाव के हो जाता था, वहाँ अब चुनाव

होना आवश्यक हो गया है। अपनी समस्याओं को स्वयं हल करके ग्राम पंचायतों ने एक स्वस्थ ग्रामीण नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया है।[9]

राजनीतिक चेतना का विकास– पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में है। इसके द्वारा स्थानीय स्तर पर नेतृत्व क्षमता के विकास का अवसर प्राप्त होता है। यही नेतृत्व पंचायती राज की सफलता का निर्धारण करता है। यह एक प्रारम्भिक राजनीतिक विद्यालय के रूप में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अनुभव के द्वारा उच्च स्तर की संस्थाओं की कार्यप्रणाली की क्षमता में विकास होता है और एक नए राजनीतिक वर्ग को उदय का अवसर मिलता है जो प्रजातान्त्रिक शैली की वास्तविक भावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।[10]

सारांश – अंततः भारत में पंचायती राज के लागू होने से ग्रामीण लोकतंत्र को नई शक्ति मिली है। भारत में इस प्रकार पंचायती राज की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई कि इसने राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से आम लोगों को जोड़ना था। इसके अभाव में गाँधी जी का ग्राम स्वराज्य का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसके आगमन से एक नई प्रकार की जागरूकता और आत्म सम्मान की भावना ग्रामीण लोगों में पैदा हुई है। इसने समाज के सबसे उपेक्षित व पिछड़े वर्गों को ऐसा सम्मान दिया है कि वे आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से आम आदमी जुड़ चुका है और अंधेरे के स्थान पर प्रकाश से ग्रामीण जनता के मन में स्थान बना लिया है। इसी कारण अब पंचायती राज को भारतीय राजनीति का हृदय और आत्मा दोनों समझा जाता है। आज पंचायती राज सामाजिक प्रगति, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समृद्धि और राजनीतिक विकास का माध्यम है। नए अधिनियम ने ग्रामीण लोगों को अधिक स्वतन्त्रता व स्वायत्तता, शक्तियाँ व अधिकार, आत्म सम्मान और गौरव की भावना तथा जनसहभागिता पर आधारित विकास की अवधारणा को विकसित किया है। इसने निर्णय प्रक्रिया और नीति निर्माण में आम जनता के महत्व को भी प्रतिपादित किया है। आज जनता के सहयोग के बिना कोई भी विकास कार्यक्रम और नीति लागू नहीं हो सकती। चूंकि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में कुछ कमियां भी उजागर हुई हैं, अतः इस दिशा में सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाये जाने की अपेक्षा भी की जाती है।

संदर्भ सूची

1. अम्बार्य एस. हगार्गी, ''73 अमेण्डमैण्ट एक्ट ऑफ 1992: एन एनालेसिस'', थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 25, नं0 298, दिसम्बर 2011 , पृ0 18.
2. जे. भाग्यलक्ष्मी, ''पंचायती राज एम्पावरिंग दॉ पीपुल्स'', योजना, वॉल्यूम 42, नं0 7, जुलाई 1998, पृ0 21.
3. शालिनी वाधवा, भारतीय स्थानीय प्रशासन, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस , नई दिल्ली, 2003, पृ0 139–140.
4. देवेन्द्र उपाध्याय, जवाहर लाल नेहरू, बहुआयामी व्यक्तित्व, भारद्वाज पब्लिकेशन्ज, नई दिल्ली, 1989, पृ0 112.
5. शालिनी वाधवा, पूर्वोक्त, पृ0 177.
6. के.सुभा एव ंबी.एस. भार्गव, ''पंचायत एण्ड एन. जी.ओ. इन स्पेशल चेन्ज'', कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम 48, नं0 10, जुलाई 2000, पृ0 21.
7. शमशेर सिंह मलिक, दॉ न्यू पंचायती राज, आलेख पब्लिशर, जयपुर 2002, पृ0 39.
8. शालिनी वाधवा, पूर्वोक्त, पृ0 181.

9. गौतम वीर, पंचायती राज व्यवस्था, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009, पृ0 291.
10. मुन्नी पड़लिया, (सम्पादित), भारत में पंचायती राज व्यवस्था, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2009, पृ0 132.